फर्द अहकाम

द्वारका प्रसाद बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) चाकसू

आर.टी.आई. अपील सं0 01/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.01.2019	पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नही है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की टिप्पणी जरिये पत्र क्रमांक सू.अधि./19/316 दिनांक 28.01.2019 प्राप्त। पी.पी.ओ. आदेश की फोटो प्रति संलग्न प्रेषित की है। अपीलान्ट् को भी जरिये पृष्ठांकन सूचित किया गया है कि वांछित पी.पी.ओ. की प्रमाणित प्रति किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवे। अपीलान्ट् द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, चाकसू को संबोधित प्रार्थना पत्र में बंशीलाल सांवरिया के हक में जारी पी.पी.ओ. की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई, राज्य लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी दिनांक 28.01.2019 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वांछित प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्ट्–प्रार्थी को निर्धारित समय में नहीं दी गई है। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, चाकसू को निर्देश दिये जाते है कि चाही गई सूचना बंशीलाल सांवरिया के वृद्धावस्था पेंशन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय सुनाया गया। 28/1/19 अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	प्रेषित 468-69 19-2-19

Scanned by CamScanner